

>

Title: Introduction of the National Board for Welfare of Flood Victims Bill, 2019.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाढ़ पीड़ितों को स्थायी आश्रय उपलब्ध कराने का उपबंध कर के बाढ़ नियंत्रण करने के उपाय का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड के गठन का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि बाढ़ पीड़ितों को स्थायी आश्रय उपलब्ध कराने का उपबंध कर के बाढ़ नियंत्रण करने के उपाय का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड के गठन का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**श्री अजय
मिश्र टेनी :**
अध्यक्ष
महोदय, मैं
विधेयक को
पुरःस्थापित
करता हूँ ।

16.43 ½ hrs